

**लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश**  
**गौतम नगर, भोपाल-462023**

क्रमांक./स्था./एन.सी./2021/1323

भोपाल, दिनांक 06/10/2021

// आदेश //

मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के नियम 5 (4) (क) के अनुसार प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, मध्यप्रदेश भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक पद हेतु आयोजित पात्रता परीक्षा परिणाम के आधार पर भर्ती हेतु विज्ञापन दिनांक 30.12.2019 को जारी किया गया। इस क्रम में दस्तावेज सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर **गृह विज्ञान विषय** में उनके नाम के समक्ष अंकित विद्यालय में निम्नानुसार पदस्थ किया जाता है।

2/

Sn	Name and Father's Name	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED_ CATEGORY	Posting Place	DISTNAME
1	RUBEENA KHANAM, Father's Name- LAEEK MOHD	H - 2/ 14 NEW CENTRAL JAIL COLONY KAROND BYPASS ROAD District -BHOPAL	74581152	1	UR	UR/X/F	DISE-23310723117 GOVT. HSS MLB (GIRLS) VIDISHA	Vidisha
2	POOJA SARAIYA, Father's Name- ANAND SARAIYA	262 GARHA ROAD SARAIYA SADAN District - JABALPUR	74629526	9	UR	UR/X/F	DISE-23150712631 GOVT. HSS GIRLS CHANDIA	Umaria
3	SRASHTI SINGOUR, Father's Name- PRADEEP KUMAR SINGOUR	D 434 NEW MINAL RESIDENCY J K ROAD District - BHOPAL	74644672	20	OBC	UR/X/OP	DISE-23430115613 GOVT. HSS (GIRLS) MLB CHHINDWARA	Chhindwara
4	SAMIHA TIWARI, Father's Name- PANKAJ TIWARI	GANPATI VIHAR NANDAN VIHAR ROAD BEHIND AMBEDKAR COLONY JABALPUR JBP, District - JABALPUR	74536714	24	EWS	EWS/X/F	DISE-23430915728 GOVT. HSS GIRLS AMARWARA	Chhindwara
5	ARCHANA DESHMUKH, Father's Name- PARASNATH DESHMUKH	TP 28 PHASE I INDUS TOWN HOSHANGABAD ROAD, District - BHOPAL	74540423	38	OBC	OBC/X/F	DISE-23350804806 GOVT. HSS POUNI	Betul
6	SUNITA PATEL, Father's Name- SHRI RAMCHAND	GRAM TIGARIYA POST BADGAON GURJAR District - KHANDWA	74582893	138	OBC	OBC/OH/F	Dise-23020713579 GOVT.GIRLS HSS SABALGARH	Morena

Sn	Name and Father's Name	Address	ROLLNO	RANK	CATE GORY	SELECTED_ CATEGORY	Posting Place	DISTNAME
7	ARUNA DIWAKAR, Father's Name- BHAIYA LAL	NEAR SARKARI PRIMARY SCHOOL DANDI TOLA KARMAU BIHARA RAMPUR BAGHELAN District -REWA	74522453	151	SC	SC/X/F	DISE- 23170608210 GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL KOLHUDEEH	Sidhi
8	PRIYANKA ASTHANA, Father's Name- HARISHCHANDRA ASTHANA	5/15 BAIRICK QUARTER THATIPUR District - GWALIOR	74651601	194	SC	SC/X/OP	DISE- 23030721168 GOVT. HSS GIRLS, GOHAD	Bhind
9	DEEPSHIKHA MARKAM, Father's Name- CHAMRU SINGH MARKAM	VILLAGE POST RAIPURA SHAHPURA DINDORI DND District -DINDORI	74647202	282	ST	ST/X/F	DISE- 23170724807 GOVT. HSS KUCHWAHI	Sidhi
10	ANITA , Father's Name- LALLU SINGH ASKE	54 K GRAM DEWDHA POST BADWANIYA DAHI DHR, District -DHAR	74474519	299	ST	ST/X/F	DISE- 23060900141 GOVT.HSS GIRLS PICHHORE	Shivpuri
11	MANJU UIKEY, Father's Name- RADHESHYAM UIKEY	H NO S-40 PHASE 2 SHARDA NAGAR COLONY LAMBAKHEDA BERASIA ROAD District -BHOPAL	74510526	316	ST	ST/X/OP	DISE- 23090704869 GOVT. HSS GIRLS NOWGONG	Chhatarpur
12	RINKU CHOUHAN, Father's Name- MANSINGH CHOUHAN	482 SHIV CITY NEAR SILICON CITY INDORE District -INDORE	74568476	355	ST	ST/X/OP	DISE- 23090707937 GOVT. GIRLS HSS HARPALPUR	Chhatarpur
13	DHAPU WASKEL, Father's Name- MANOHAR SINGH WASKEL	17 RAMADHAMA BASALIPURA MANAWAR District -DHAR	74435975	374	ST	GFST/X/F	DISE- 23170722502 GOVT. HSS GIRLS, HINAUTI	Sidhi
14	NEHA KAMDE, Father's Name- N K KAMDE	WARD NO 08 TALAB TOLA NAINPUR, District -MANDLA	74533074	375	SC	GFSC/X/F	DISE- 23100322404 GOVT HSS GIRLS MANHAR PANNA	Panna
15	SANGEETA ATULKAR, Father's Name- MANOJ ATULKAR	NEAR UNIQE SCHOOL PATEL WARD ITARSI ROAD SADAR District -BETUL	74464259	399	SC	GFSC/X/OP	DISE- 23060900141 GOVT.HSS GIRLS PICHHORE	Shivpuri
16	NIRMALA DAWAR, Father's Name- CHAIN SINGH	12 DEWALARA TAWLAI BUJURG MANAWAR, District -DHAR	74486669	415	ST	GFST/X/OP	DISE- 23030500147 GOVT. HSS GIRLS, LAHAR	Bhind

3/ उपरोक्त नियुक्ति वेतनमान पी.बी.-2 (छटवां वेतनमान 9300-34800 + 3600 ग्रेड पे) का मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2017 के अंतर्गत मैट्रिक्स में लेवल-9 में तत्स्थानी वेतनमान 36200-114800 के न्यूनतम वेतन रुपये 36200/- + अन्य भत्ते जो शासन द्वारा समय-समय पर देय हैं, के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-सी-3-13/2019/3/एक दिनांक 12.12.2019 के बिंदु क्र. (ब) के अनुक्रम में राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम, 2018 के संशोधित नियम 13(राजपत्र दिनांक 24 दिसंबर 2019) अनुसार वेतनमान के न्यूनतम का प्रथम वर्ष 70 प्रतिशत, द्वितीय वर्ष 80 प्रतिशत, तृतीय वर्ष 90 प्रतिशत राशि स्टायपेंड के रूप में देय होगी। परिवीक्षा अवधि (3 वर्ष) सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर उक्त वेतनमान में न्यूनतम वेतन दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा।

4/ यह नियुक्ति अस्थायी रूप से तीन वर्ष की परिवीक्षा पर की जाती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने पर राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के संशोधित नियम 13 के तहत कार्यवाही की जा सकेगी। परिवीक्षा अवधि में स्थानांतरण से संबंधित के किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

5/ संबंधित चयनित अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5/एक/05/नि/चार दिनांक 02.04.2005 के अनुसार दिनांक 01.01.2005 के पश्चात मध्यप्रदेश शासन के अधीन सिविल सेवा अथवा सिविल पदों पर नियुक्त अधिकारियों/ कर्मचारियों को मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/चार दिनांक 13.04.2005 के प्रावधान अनुसार परिभाषित अंशदान पेंशन योजना लागू होगी।

6/ संबंधित अभ्यर्थी को आदेश दिनांक से 15 दिवस में पदस्थापना स्थल पर उपस्थिति देनी होगी। उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। समस्त अभ्यर्थी आवश्यक समस्त अभिलेखों की मूल प्रति एवं उसकी 3 स्वप्रमाणित प्रतियों के सेट साथ में लायेंगे। अभिलेखों का सत्यापन मूल दस्तावेज से जिला शिक्षा अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष कराएंगें जिसकी सूची निम्नानुसार है:-

- I. नियुक्ति आदेश
- II. 6 पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ई-मेल एड्रेस
- III. जाति प्रमाण पत्र (सक्षम स्तर से जारी किया हुआ नवीनतम अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं E.W.S.)
- IV. मूल निवासी प्रमाण पत्र
- V. निःशक्तता/दिव्यांगता का प्रमाण पत्र-न्यूनतम 40 प्रतिशत दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का वैध प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति दिव्यांग श्रेणी में हुई है।
- VI. अतिथि अनुभव प्रमाणपत्र (जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति अतिथि शिक्षक के अनुभव प्रमाणपत्र के आधार पर हुई है )
- VII. शासकीय सेवक की स्थिति में विभागीय अनुमति (NOC) अथवा विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र की पावती प्रति
- VIII. अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- IX. प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा जारी स्कोर कार्ड
- X. संलग्न शपथ पत्र नोटराइज्ड (परिशिष्ट-.....)

7/ संबंधित अभ्यर्थी पदस्थापना स्थल के जिला मुख्यालय पर पदभार ग्रहण करने के उपरांत अपने पदस्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करेंगे। नियुक्ति आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर मेडिकल बोर्ड का चिकित्सा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

8/ यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी एवं इसे किसी भी समय एक माह का नोटिस देकर या उसके बदले में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर समाप्त की जा सकेगी। नोटिस दिए जाने के पहले या बाद में यदि अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहेंगे तो यह माना जावेगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिये सेवा छोड़ दी है, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को एक माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी, उतनी अवधि का वेतन तथा भत्तों का भुगतान करना होगा।

9/ परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि विषय मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं मध्यप्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 के प्रावधानों के अंतर्गत शासित होंगे तथा वरिष्ठता का निर्धारण विभाग द्वारा नियुक्ति हेतु निर्धारित किये गये मापदंडों के अनुसार किया जावेगा।

10/ परिवीक्षा अवधि में अनाधिकृत अनुपस्थिति पर परिवीक्षा अवधि, अनुपस्थिति की अवधि तक के लिए आगे बढ़ा दी जायेगी।

11/ संबंधित का आगामी 3 वर्षों तक सामान्यतः स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।

विशेष टीप:- यदि चरित्र/जाति/निःशक्तता/शैक्षणिक इत्यादि दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट में गलत या असत्य पाये जाते हैं अथवा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र भविष्य में कभी भी फर्जी अथवा असत्य पाये जाते हैं तो संबंधित की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।

अनुमूल  
(अभय वर्मा) 6/10/21  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.

पृ. क्रमांक./स्था./एन.सी./2021/1324  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 06/10/2021

1. माननीय स्कूल शिक्षा मंत्रीजी के विशेष सहायक, भोपाल
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल
3. सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल
4. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
5. समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश
6. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
7. संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र
8. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र.
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में पदांकित संबंधित सभी अभ्यर्थियों की उपस्थिति की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवं पदांकित अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का मूल अभिलेखों से मिलान कर संतुष्ट होने पर ही पदांकित संस्था में पदभार ग्रहण करने हेतु निर्देशित करें। दस्तावेज सत्यापन अथवा अभ्यर्थी की योग्यता/पात्रता के संबंध में कोई विसंगति पाए जाने पर संचालनालय को तत्काल सूचित कर मार्गदर्शन प्राप्त करें।
10. समस्त कोषालय अधिकारी, म.प्र.
11. चयनित अभ्यर्थियों को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति आदेश में विहित शर्तों से सहमत होने की दशा में पदांकित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी (म.प्र.) को अपनी उपस्थिति देवें।

अनुमूल  
आयुक्त  
लोक शिक्षण, म.प्र.

प्रारूप

:: शपथ पत्र ::



मैं.....आयु.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....  
निवासी.....शपथपूर्वक कथन करता/करती  
हूँ-

1. यह मेरा चयन.....पद पर हुआ है।
2. यह कि मेरा चरित्र उत्तम है।
3. यह कि मुझे आज दिनांक तक कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है।
4. यह कि मुझ पर आज दिनांक तक किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है।
5. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है।
6. यह कि आज दिनांक तक मुझे किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है और न ही निष्कासित किया गया है।
7. यह कि मैंने भरती प्रक्रिया में जो भी जानकारियां दी है एवं जो दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं, वे पूर्णतः सही एवं सत्य है।

8. यह कि यदि मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है और जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, यदि उनमें कोई भी जानकारी/दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो मेरी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा मेरे विरुद्ध असत्य शपथ-पत्र प्रस्तुत करने के लिए भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो कि मुझे स्वीकार एवं मान्य होगा।
9. यह भी घोषणा करता/करती हूं कि यदि मेरा नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किया जाता है और यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुझे शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो मेरी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।
10. यह कि मेरी दो से अधिक जीवित संतान में किसी का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात् नहीं हुआ है।

शपथग्रहिता

सत्यापन

मैं उपरोक्त शपथग्रहिता.....सत्यापित करता/करती हूं कि इस शपथ-पत्र की कंडिका क्रमांक 1 लगायत 9 में दी गई समस्त जानकारियां मेरे ज्ञान में एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतः सत्य एवं सही है, जिनका सत्यापन आज दिनांक.....को..... में किया गया है।

शपथग्रहिता